रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01022026-269744
CG-DL-E-01022026-269744

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 422] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 30, 2026/माघ 10, 1947
No. 422] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 30, 2026/MAGHA 10, 1947

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2026

का.आ. 450(अ).—जबकि मैसर्स ग्रीनको एपी01 आईआरईपी प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत पता H.No.14-478/6, साई नगर, पण्यम (गाँव, पोस्ट, मंडल), नंदयाला, आंध्र प्रदेश - 518112, भारत में स्थित है, ने ट्रांसमिशन योजना "प्रस्तावित स्टोरेज के साथ सौर ऊर्जा परियोजना से बिजली की निकासी के लिए इसकी आंतरिक कनेक्टिविटी व्यवस्था की ट्रांसमिशन प्रणाली" के तहत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. 25-17/62/2024-PG दिनांकित 26.03.2025 के द्वारा ट्रांसमिशन योजना "प्रस्तावित स्टोरेज के साथ सौर ऊर्जा परियोजना से बिजली की निकासी के लिए इसकी आंतरिक कनेक्टिविटी व्यवस्था की ट्रांसमिशन प्रणाली" के अंतर्गत आने वाली ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनों के लिए विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मैसर्स ग्रीनको एपी01 आईआरईपी प्राइवेट लिमिटेड ने स्थानीय समाचार पत्रों द न्यू इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी में) दिनांक 12.04.2025, डेली हिंदी मिलाप (हिंदी में) दिनांक 12.04.2025, ईनाडु (तेलुगु में) दिनांक 12.04.2025, और भारत के साप्ताहिक राजपत्र दिनांक 10.05.2025 में ट्रांसमिशन योजना के लिए प्रस्तावित ट्रांसमिशन मार्ग पर

प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर आम जनता की टिप्पणियों / अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके पश्चात, मैसर्स ग्रीनको एपी01 आईआरईपी प्राइवेट लिमिटेड ने दिनांक 22.12.2025 को एक हलफनामा प्रस्तुत किया है, जिसमें घोषणा की गई है कि भारत सरकार के आधिकारिक राजपत्र एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर कोई टिप्पणी / अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ था।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत "प्रस्तावित स्टोरेज के साथ सौर ऊर्जा परियोजना से बिजली की निकासी के लिए इसकी आंतरिक कनेक्टिविटी व्यवस्था की ट्रांसमिशन प्रणाली" के तहत ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं। योजना के अंतर्गत निम्नलिखित ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन हैं:

- 400 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र के 400/33 केवी पूलिंग सबस्टेशन (नागालुटी गांव, मिदुतूर/ थ्मदुतूर मंडल, नंदयाल/ नंदयाला जिला, आंध्र प्रदेश में स्थित) से ग्रीनको एपी01 आईआरईपी प्राइवेट लिमिटेड के 400 केवी सेंट्रल पावर पूलिंग सबस्टेशन (सीपीएसएस) तक डी/सी टावर पर 400 केवी एस/सी लाइन

उपरोक्त योजना के अंतर्गत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन **आंध्र प्रदेश** के निम्नांकित गाँवों, कस्बों और शहरों से होकर, उन पर से, उनके आसपास से और बीच से होकर गुज़रेगी:

क्र. सं.	गाँव का नाम	तहसील	जिला	राज्य
I	हुसैनापुरम, कल्वा, तिष्पयापल्ले/ तिप्पयापल्ले, सेकुनाला, ब्राह्मणपल्ले, कन्नमदकला, ओर्वाकल, कल्वाबुग्गा, गुम्मीतम थांडा (केन्द्रपाड़ा), सोमयाजुलापल्ले, गुमतम तांडा	ओर्वाकल	कर्नूल	आंध्र प्रदेश
II	चउटाकुर, चौटकुरु, बान्नूरू, कडुमुर, पैपालेम, मासापेटा, नागालुटी, गुडीपाडु, कलामंडलपाडु, उप्पलादादा, कलावंदलापाड़ा, दिगुवापाडु, देवानुरु, चिन्नमपल्ली, कलावंडालापाडु	थ्मदुतूर / मिदुतूर	नंदयाला/ नंदयाल	आंध्र प्रदेश

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के तहत, मैसर्स ग्रीनको एपी01 आईआरईपी प्राइवेट लिमिटेड को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं-

i. यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।

ii. आवेदक को प्रस्तावित लाइन की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकरणों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।

iii. आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए ट्रांसमिशन, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।

iv. आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइन का प्रचालन करेगा।

v. यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।

vi. मैसर्स ग्रीनको एपी01 आईआरईपी प्राइवेट लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

[फा. सं. 25-16/4/2026-पावरग्रिड(एमओपी)]

एम.वी.एन. वरा प्रसाद, अवर सचिव (पीजी)

MINISTRY OF POWER

ORDER

New Delhi, the 27th January, 2026

S.O. 450(E).—Whereas M/s Greenko AP01 IREP Private Limited having its registered address at H.No.14-478/6, Sai Nagar, Panyam (Village, Post, Mandal), Nandyal, Andhra Pradesh - 518112, India, has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line under the transmission scheme "Transmission system of its internal connectivity arrangement for evacuation of power from proposed Solar Power Project with Storage".

And whereas, Ministry of Power, Government of India vide its letter No. 25-17/62/2024-PG dated 26.03.2025 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for the overhead line covered under the transmission scheme "Transmission system of its internal connectivity arrangement for evacuation of power from proposed Solar Power Project with Storage".

M/s Greenko AP01 IREP Private Limited had published notice for transmission scheme in local newspapers The New Indian Express (in English) dated 12.04.2025, Daily Hindi Milap (in Hindi) dated 12.04.2025, Eenadu (in Telugu) dated 12.04.2025, and in Weekly Gazette of India dated 10.05.2025 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within 2 Months from the date of publication. Subsequently, M/s Greenko AP01 IREP Private Limited has submitted an affidavit dated 22.12.2025 declaring that no observation/representation was received within 2 Months from the date of Publication in the official gazette of Government of India and newspaper publications.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme "Transmission system of its internal connectivity arrangement for evacuation of power from proposed Solar Power Project with Storage". The following overhead line is covered under this scheme:

- 400 kV S/c line on D/c tower from 400/33 kV pooling Substation (located at Nagaluti village, Miduthur Mandal, Nandyal District, Andhra Pradesh) of 400 MW Solar Power Plant to 400 kV Central Power Pooling Substation (CPSS) of Greenko AP01 IREP Private Limited

The transmission line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities of **Andhra Pradesh**:

S No.	Name of Villages	Tehsil	District	State
I	Hussainapuram, Kalva, Tippayapalle, Sekunala, Brahmanapalle, Kannamadakala, Orvakal, Kalvabugga, GummithamThanda (Kendrapara), Somayajulapalle, Gumtam Tanda	Orvakal	Kurnool	Andhra Pradesh
II	Chowtakur, Chautkuru, Bannuru, Kadumur, Paipalem, Masapeta, Nagaluti, Gudipadu, Kalamandalapadu, Uppaladada, Kalavandalapada, Diguvapadu, Devanuru, Chinnampalli, Kalavandalapadu	Miduthur	Nandyal	Andhra Pradesh

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s Greenko AP01 IREP Private Limited for laying above overhead line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph

lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned line, namely:

i. The approval is granted for 25 years.

ii. The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.

iii. The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.

iv. The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.

v. The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.

vi. M/s Greenko AP01 IREP Private Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.

[F.No.25-16/4/2026-POWER GRID(MoP)]
M.V.N. VARA PRASAD, Under Secy. (PG)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2026.02.01 19:11:02 +05'30'